भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1875
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

बीपीसीएल द्वारा सीबीजी संयंत्र की स्थापना

1875. श्री हैबी ईडनः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 150 टन क्षमता वाले संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना के लिए कोच्चि निगम द्वारा ब्रह्मपुरम अपशिष्ट शोधन यार्ड में दस एकड़ भूमि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), कोच्चि रिफाइनरी को सौंपे जाने के निहितार्थों और लाभों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कोच्चि, केरल में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट शोधन यार्ड में बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी द्वारा सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए दी गई स्वीकृति की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन के लिए, विशेषकर ब्रह्मपुरम में बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी द्वारा प्रस्तावित सीबीजी संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति के संबंध में एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्यों की स्वीकृति, शुरुआत और पूर्णता के लिए कौन-कौन सी तिथियां निर्धारित गई हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) कोच्चि रिफाइनरी ने कोच्चि के ब्रह्मपुरम डंप यार्ड में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित संपीडित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। इसके साथ ही यह एमएसडब्ल्यू के प्रभावी प्रबंधन एवं सीबीजी और जैव-खाद के रूप में उपयोगी ऊर्जा बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस के आयात में कमी, जीएचजी उत्सर्जन में कमी, वायु और जल प्रदूषण में कमी लाना, रोजगार सृजन, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इत्यादि अन्य लाभ होंगे।

बीपीसीएल द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है और उक्त को केरल सरकार द्वारा दिनाँक 23.11.2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कोच्चि में सीबीजी संयंत्र के निर्माण और चालू किए जाने की अनुमानित समय-सीमा अपेक्षित सांविधिक मंजूरियों को प्राप्त कर लेने की तिथि से लगभग 15-18 माह है। अपेक्षित भूमि के आवंटन के बाद विस्तृत परियोजना निष्पादन समय-सीमा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सैनिटेशन राज्य का विषय है और राज्य/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की यह जिम्मेदारी है कि देश के शहरी क्षेत्रों में सैनिटेशन परियोजनाओं की योजना, प्रारूप, निष्पादन और संचालन करें। यूएलबीज/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार वित्तीय और तकनीकी समर्थन के माध्यम से सुविधा मुहैया करवा रही है।

****.